न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश

प्रकरण क्रमांक नि०1375-II/16

1– रजिया उर्फ वरयायु पुत्र स्व0 श्री मुल्ली चमार

2– रामसेवक उर्फ हल्के पुत्र स्व0 श्री मुल्ली चमार

3– नत्थू तनया स्व0 श्री मुल्ली चमार नि- पिपौराकला तहसील व जिला छतरपुर (म०प्र०)

———आवेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 2/5/16 को प्रस्तुत

विरूद्ध

मध्य प्रदेश

———अनावेदक

<u>आवेदक पत्र अन्तर्गत धारा 50 एवं धारा 32 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959</u>

महोदय,

आवेदकगण की ओर से सादर निम्न विनय प्रस्तुत है :–

1– यहकि, आवेदक क्रं.–1 रजिया उर्फ वरयाऊ पत्नी स्व0 श्री मुल्ली चमार और उसके पुत्र रामसवेक उर्फ हल्के, नाथूराम पुत्र स्व0 श्री मुल्ली चमार, निवासी– ग्राम पिपौराकला तहसील व जिला छतरपुर द्वारा भूमि खसरा नम्बर 1192, 1193, कुल किता 2 रकवा क्रमशः 0737, 0453 एवं रकवा 1.190 है के, विक्रय की अनुमति आवेदन पत्र दिनाक 30.08.2013 को अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जिस पर तत्काल तथ्यात्मक जॉच प्रतिवेदन हेतु तहसीलदार छतरपुर को जॉच प्रतिवेदन 20.09.2013 तक प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है।

2– यहकि, अपर कलेक्टर छतरपुर के आदेशानुसार तहसीलदार छतरपुर द्वारा सार्वजनिक इस्तहार जारी कर आपत्तियॉ आहूत की गई। आपत्तियॉ प्राप्त न होने पर नायब तहसीलदार ईशानगर, पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं वन विभाग से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किये गये। वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया गया है। राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी ने आवेदकगण के पक्ष में बीमारी के ईलाज हेतु उपरोक्त भूमि शासन से प्राप्त भूमि होने से भूमि विक्रय अनुमति दिये जाने की अनुशंसा की गई है

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1375–दो/2016 जिला –छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8 – 6–16	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित होकर निवेदन किया है कि वह प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहती है । उक्त प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जावे। 2– आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है । प्रकरण न चलाने के कारण समाप्त किया जाता है । सदस्य	